

भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 364

दिनांक 02 दिसंबर, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए

संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा लगाए गए शुल्कों में वृद्धि का प्रभाव

364. **श्री वी. वैथिलिंगम:**

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

- (क) संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा भारतीय वस्तुओं पर लगाए गए शुल्कों में हाल ही में की गई वृद्धि, जिसके परिणामस्वरूप वस्त्र, रत्न एवं आभूषण, चमड़ा और रसायन सहित कई उत्पादों पर शुल्क 50 प्रतिशत तक बढ़ गया है, का भारत की निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता पर क्या समग्र प्रभाव पड़ा है;
- (ख) सरकार द्वारा भारतीय निर्यात पर इन शुल्कों के प्रभाव को कम करने के लिए उठाए गए या उठाए जाने वाले कदमों का व्यौरा क्या है;
- (ग) सरकार द्वारा एमएसएमई जैसे प्रभावित उद्योगों के लिए क्या उपाय किए गए हैं या किए जाने हैं, किसी एक बाजार पर निर्भरता कम करने के लिए बाजार विविधीकरण की क्या रणनीतियाँ बनाई हैं या बनानी हैं, और संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ द्विपक्षीय व्यापार संबंधों को बनाए रखने और मजबूत करने हेतु क्या प्रयास किए गए हैं या किए जाने हैं; और
- (घ) इन शुल्कों के प्रभाव को दूर करने में आने वाली किसी भी चुनौती या देरी के क्या कारण हैं और ऐसी व्यापार बाधाओं के सामने भारतीय निर्यातकों की निरंतर निर्यात वृद्धि और लोचशीलता सुनिश्चित करने के लिए सरकार का दृष्टिकोण क्या है?

उत्तर
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री जितिन प्रसाद)

- (क) से (घ) दिनांक 31 जुलाई 2025 को, अमेरिका ने अपने व्यापारिक साझेदारों के लिए पारस्परिक शुल्क (आरटी) दरों के साथ एक कार्यकारी आदेश (ईओ) जारी किया। ईओ ने कुछ अमेरिकी व्यापारिक साझेदारों के लिए देश-विशिष्ट अतिरिक्त यथा-मूल्य शुल्क दरों को अधिसूचित

किया, जिनमें वे भी शामिल हैं, जो अमेरिका के साथ व्यापार समझौते करने के लिए सहमत हो गए हैं या प्रक्रिया में हैं। ये शुल्क 15-41% की सीमा में हैं, जिसमें भारत पर शुल्क 25% है। यह आरटी दिनांक 07.08.2025 से प्रभावी हुआ। अमेरिका ने दिनांक 06 अगस्त 2025 को रूसी तेल की खरीद का हवाला देते हुए भारत पर 25% का अतिरिक्त यथा-मूल्य शुल्क लगाया। ये टैरिफ दिनांक 27 अगस्त 2025 से प्रभावी हुए। ये टैरिफ टेक्सटाइल, हैंडीक्राफ्ट, लेदर, कुछ कृषि वस्तुओं, समुद्री उत्पादों और इंजीनियरिंग सामान जैसे क्षेत्रों के उत्पादों पर लागू होते हैं।

सरकार एक व्यापक बहुआयामी कार्यनीति के माध्यम से भारतीय निर्यात पर अमेरिकी टैरिफ उपायों के प्रभाव को कम करने के लिए लगातार कार्य कर रही है। जिसमें पारस्परिक रूप से लाभकारी भारत-अमेरिका द्विपक्षीय व्यापार समझौते के लिए अमेरिकी सरकार के साथ गहन सहभागिता, आरबीआई के व्यापार राहत उपायों के माध्यम से तत्काल राहत और निर्यातकों के लिए ऋण गारंटी योजना, अगली पीढ़ी के जीएसटी सुधारों के माध्यम से घरेलू मांग में वृद्धि करना, नए निर्यात संवर्धन मिशन जैसे निर्यात संवर्धन उपाय जो हमारे निर्यातकों को सहयोग और सहायता प्रदान करते हैं, नए देशों के साथ एफटीए को आगे बढ़ाते हैं और मौजूदा एफटीए का बेहतर उपयोग करना शामिल है। यह प्रत्याक्षा है कि ये उपाय भारत के व्यापार संबंधों में विविधता और लचीलापन भी बढ़ाएंगे।

उपरोक्त उल्लिखित कुछ उपायों का व्यौरा निम्नवत है:

1. निर्यात संवर्धन मिशन

यह मिशन वित वर्ष 2025-26 से वित वर्ष 2030-31 तक 25,060 करोड़ रुपये के कुल परिव्यय के साथ निर्यात संवर्धन के लिए एक व्यापक, लचीला और डिजिटल रूप से संचालित फ्रेमवर्क प्रदान करेगा। ईपीएम कई खंडित योजनाओं से एक एकल, परिणाम-आधारित और अनुकूली तंत्र की ओर एक कार्यनीतिक बदलाव का प्रतीक है जो वैश्विक व्यापार की चुनौतियों और निर्यातकों की उभरती ज़रूरतों का तेजी से प्रत्युत्तर दे सकता है।

यह मिशन दो एकीकृत उप-योजनाओं के ज़रिए काम करेगा:

(i) निर्यात प्रोत्साहन- ब्याज अनुदान, निर्यात फैक्टरिंग, कोलेटरल गारंटी, ई-कॉर्मर्स निर्यातकों के लिए क्रेडिट कार्ड और नए बाजारों में विविधीकरण के लिए ऋण वृद्धि सहयोग जैसे

कई साधनों के माध्यम से एमएसएमई के लिए किफायती व्यापार वित्त तक पहुंच में सुधार लाने पर केंद्रित है।

(ii) निर्यात दिशा - गैर-वित्तीय सक्षमताओं पर ध्यान केंद्रित करती है जो बाजार की तत्परता और प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाती है, जिसमें निर्यात गुणवत्ता और अनुपालन सहायता, अंतर्राष्ट्रीय ब्रांडिंग, पैकेजिंग के लिए सहायता, और व्यापार मेलों में भागीदारी, निर्यात भंडारण और लॉजिस्टिक्स, अंतर्राष्ट्रीय परिवहन प्रतिपूर्ति, तथा व्यापार आसूचना और क्षमता निर्माण पहल शामिल हैं।

यह मिशन भारतीय निर्यात को बाधित करने वाली संरचनात्मक चुनौतियों का सीधे तौर पर समाधान करने के लिए बनाया गया है, जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं:

- सीमित और महंगी व्यापार वित्त पहुंच,
- अंतर्राष्ट्रीय निर्यात मानकों के अनुपालन की उच्च लागत,
- अपर्यास निर्यात ब्रांडिंग और खंडित बाजार पहुंच, और
- आंतरिक और कम निर्यात तीव्रता वाले क्षेत्रों में निर्यातकों के लिए लॉजिस्टिक संबंधी नुकसान।

ईपीएम के तहत, हाल ही में वैशिक टैरिफ वृद्धि से प्रभावित क्षेत्रों, जैसे कपड़ा, चमड़ा, रत्न एवं आभूषण, इंजीनियरिंग सामान और समुद्री उत्पादों को प्राथमिकता सहायता प्रदान की जाएगी। इन क्रियाकलापों से निर्यात ऑर्डरों को बनाए रखने, नौकरियों को सुरक्षित करने और नए भौगोलिक क्षेत्रों में विविधीकरण को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी।

2. निर्यातकों के लिए ऋण गारंटी योजना को भी मंजूरी प्रदान की गई है ताकि राष्ट्रीय ऋण गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड (एनसीजीटीसी) द्वारा सदस्य ऋणदाता संस्थानों (एमएलआई) को 100% ऋण गारंटी कवरेज प्रदान किया जा सके ताकि एमएसएमई सहित पात्र निर्यातकों को 20,000 करोड़ रुपये तक की अतिरिक्त संपार्शीक-मुक्त ऋण सुविधाएँ प्रदान की जा सकें। इस योजना से भारतीय निर्यातकों की वैशिक प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ने और नए व उभरते बाजारों में विविधीकरण को बढ़ावा मिलने की प्रत्याक्षा है। सीजीएसई के तहत संपार्शीक-मुक्त ऋण पहुंच को सक्षम करके, यह लिक्विडिटी को मजबूत करेगा, सुचारू व्यावसायिक परिचालन सुनिश्चित करेगा और 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर के निर्यात लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में भारत की प्रगति को सुदृढ़ करेगा।

3. व्यापार राहत उपाय:- भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने पात्र प्रभावित निर्यातकों के लिए व्यापार राहत उपाय भी शुरू किए हैं, जिनमें ऋण पुर्णभुगतान स्थगन और निर्यात ऋण की अवधि बढ़ाने का प्रावधान शामिल है।

4. मुक्त व्यापार समझौते का लाभ उठाना:- सरकार का लक्ष्य निर्यात विविधीकरण को बढ़ावा देना है और उसने अपने व्यापारिक साझेदारों के साथ 15 मुक्त व्यापार समझौतों (एफटीए) और 6 अधिमान्य व्यापार समझौतों (पीटीए) पर हस्ताक्षर किए हैं। सरकार सभी हितधारकों के साथ मिलकर कार्य कर रही है ताकि हमारे निर्यातक जापान, कोरिया, संयुक्त अरब अमीरात आदि जैसे प्रमुख बाजारों के साथ भारत के एफटीए के लाभों का बेहतर उपयोग कर सकें और हाल ही में संपन्न एफटीए देशों और यूके के साथ एफटीए से उत्पन्न अवसरों का प्रभावी ढंग से उपयोग कर सकें। सरकार यूरोपीय संघ, पेरु, चिली, न्यूजीलैंड, ओमान आदि के साथ पारस्परिक रूप से लाभकारी एफटीए को शीघ्र संपन्न करने के लिए भी वार्ता कर रही है।

सरकार अमेरिकी टैरिफ उपायों के उभरते प्रभाव का आकलन करने के लिए निर्यातकों, निर्यात संवर्धन परिषदों (ईपीसी), उद्योग संघों और राज्य सरकारों सहित सभी हितधारकों के साथ नियोजित है।

कुल आंकड़ों के हिसाब से, अप्रैल-अक्टूबर 2025 के समय में भारत का निर्यात कार्य-निष्पादन निम्नवत है:

	अप्रैल-अक्टूबर 2025 (अमेरिकी बिलियन डॉलर)	अप्रैल-अक्टूबर 2024 (अमेरिकी बिलियन)डॉलर
पण्य वस्तु	254.25	252.66
सेवाएँ*	237.55	216.45
कुल निर्यात (पण्य वस्तु + सेवाएँ) *	491.80	469.11

नोट: आरबीआई द्वारा जारी सेवा क्षेत्र का नवीनतम डेटा सितंबर 2025 तक का है। अक्टूबर 2025 का डेटा एक अनुमान है।

